


२/१/२३

पहावली आज वकील वादी के विरुद्ध प्र. फर केस
 देने पर लख सिर्फ । वकील वादी ने प्र. फर पेश
 किया कि वादीया एवं अज्ञातों के मध्य लोक
 अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है किंतु
 तै प्रार्थना प्रार्थना पर ही आगे नहीं चलाना चाही
 है व प्र. फर को लोक अदालत की भावना से
 विरुद्ध करना चाहे है अतः प्र. फर वकील वादी व
 स्वयं वादी के विरुद्ध प्र. फर स्वीकार किया देने पर
 प्र. फर स्वीकार किया जाकर प्र. फर अस्थायी निषेधाज्ञा
 विरुद्ध (थारिफ) किया जाता है पहावली वाद वकील
 सामिल दफ्तर है।

अभिषेक



Delant
 M
 02/01/2024

उपखण्ड
 उपखण्ड, चाक १ (रायपुर)